दूरभाष : (0135)–2627612, फैक्स : (0135)–2627950
ई–मेल : dfodoon@gmail.com

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1905 /12–1 देहरादून, दिनांक : 25 नवम्बर, 2020.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
देहरादून।

विषयः जनपद देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरीडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव–3 के परिवारों को विस्थापित कर लालपानी कक्ष सं0–2 में बसाने हेतु 2.40 है0 वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून का पत्रांक–8 बी/यू0सी0पी0/09/193/2019/एफ0सी0/1181 दिनांक 07–09–2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्तर पर कर लिया गया है व तद्क्रम में उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–2117/12–1, दिनांक 29–10–2020 के माध्यम से आख्या इस कार्यालय को निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है :–

क्र0 सं0	आपत्तियों का विवरण	प्रत्युत्तर
01	बिन्दु संख्या–01 के प्रतिउत्तर में यह उल्लिखित है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों /शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में अंकित सभी बिन्दुओं का बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों/शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न है।
02	बिन्दु सं0–11 का उत्तर मान्य नहीं है। गाईडलाईन्स के अनुसार जितना क्षेत्र विस्थापितों द्वारा खाली किया जायेगा उतना ही क्षेत्र De-reservation के लिए मान्य किया जा सकता है।	बिन्दु सं0–11 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार प्राप्त निर्देश के कम में वर्ष 2009 में टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव–03 के मूल विस्थापित परिवारों एवं इनके द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों की संलग्न सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग के

		लालपानी कक्ष सं0–02 में उपलब्ध 2.40 है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 (प्रति संलग्न) में उल्लिखित शर्तों के तहत आवंटित करने की स्वीकृति प्राप्त है, के अनुसार जितनी भूमि टी0एच0डी0सी0 द्वारा तत्समय इन 10 परिवारों को विस्थापन के समय आवंटित की गयी थी। उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून उत्तराखण्ड के स्तर से लालपानी कक्ष सं0–02 में प्रस्तावित 2.40 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन अपलोड आदि की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : (1)/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

फोन / फैक्स : 0135-2621669 ई-मेल : director.rajaji@gmail.com

RAJAJI

कार्यालय-निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 2117 / 12-1 देहरादून, दिनांक 29-10-2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- **जनपद-देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला-मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्डगांव-3 के परिवारों को विस्थापित कर लालपानी कक्ष सं0-2 में बसाने हेतु 2.40है0 वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय(उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की फाईल सं0 8बी / यू.सी.पी. / 09 / 193 / 2019 / एफ.सी. / 1181, दिनांक 07-09-2020 एंव Processing Authority / प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 10-09-2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में जनपद-देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला-मोतीचूर कोरिडोर की पुर्नस्थापना हेतु खाण्ड गांव-3 के परिवारों को विस्थापित कर लालपानी कक्ष सं0-2 में बसाने हेतु 2.40है0 वन भूमि का राजाजी राष्ट्रीय पार्क को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र द्वारा चाही गयी (02) दो बिन्दुओं की वांछित सूचना Processing Authority / प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही निम्नवत् प्रेषित है:-

भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्र से मांगी गयी सूचना का बिन्दु	प्रतिउत्तर
1. बिन्दु सं0 01 के प्रतिउत्तर में यह उल्लेखित है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों / शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया जायेगा। राज्य सरकार मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में अंकित सभी बिन्दुओं का बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, तदपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 20.05.2020 में दिये गये निर्देशों / शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न है। **(संलग्नक-1)**
2. बिन्दु सं0 11 का उत्तर मान्य योग्य नहीं है। गाईडलाइन्स के अनुसार जितना क्षेत्र विस्थापितों द्वारा खाली किया जायेगा उतना ही क्षेत्र de-reservation के लिऐ मान्य किया जा सकता है।	बिन्दु सं0 11 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिऐ गये निर्णयानुसार प्राप्त निर्देश के कम में वर्ष 2009 में टी0एच0डी0सी0 द्वारा खाण्डगांव-03 के मूल विस्थापित परिवारों एंव इनके द्वारा विकय की गयी भूमि के केतागणों सहित कुल 10 अतिरिक्त परिवारों की संलग्न सूची के अनुसार देहरादून वन प्रभाग के लालपानी कक्ष सं0-02 में उपलब्ध 2.40है0 वन भूमि के सापेक्ष उतनी ही भूमि उत्तराखण्ड शासन, वन एंव पर्यावरण अनुभाग-2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 **(प्रति संलग्नक-2)** में उल्लिखित शर्तों के तहत् आवंटित करने की स्वीकृति प्राप्त है के अनुसार जितनी भूमि टी0एच0डी0सी0 द्वारा तत्समय इन 10 परिवारों को विस्थापन के समय आवंटित की गयी थी। उक्त प्रकरण में उत्तराखण्ड शासन, वन एंव पर्यावरण अनुभाग-2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड़ के स्तर से लालपानी कक्ष सं0-02 में प्रस्तावित 2.40 है0 वन भूमि के हस्तान्तरण का प्रस्ताव गठित कर आनलाईन अपलोड आदि की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार।

भवदीय

(डी0के0सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।

पत्रांक 2117/12-1/दिनांकित।

प्रतिलिपि – Processing Authority /प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 पत्रों के कम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयांकित प्रकरण को सक्षम स्तर की कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

(डी0के0सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।